न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

आर0 एम0 पी0 वाद सं0–46 / 2011–12

(83 / 2002)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़–बनाम–ओटन दास एण्ड कम्पनी

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर0एम0पी0 वाद सं0–83 / 2002 में दिनांक–30.12.2011 को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा–खपड़ाजोला के जमाबन्दी सं0–10 / 31, दाग सं0–311 अंतर्गत रकवा–01बी0–00क0–00धूर भूमि का विपक्षी ओटन दास एण्ड कम्पनी, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी–।। में सृजित जमाबंदी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था0 रा0 वि0 वाद सं0–66 / 98–99 में दिनांक–24.11.2000 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी / उत्तराधिकारी उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया। विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व मध्यवर्त्ती जी0सी0 पाण्डेय के द्वारा वर्ष–1912–13 में रेंट रेगुलेशन एक्ट 1886 की धारा–25ए के तहत माननीय उपायुक्त के रे0मिस0 वाद सं0–481 / 1912–13 में पारित आदेश द्वारा अधिगृहित किया गया था एवं Settelment Objection suit No.-40/1928 में पारित ओदश के द्वारा खतियान के अभियुक्ति कॉलम में "पुरातन पतीत दखल खास मालीक" एवं D.C's Rev. Misc Case No.-481/12-13 अंकित किया गया है। खतियान की ऑनलाई प्रति के अवलोकन से उक्त कथन सही प्रतीत होता है। उनके द्वारा इस संदर्भ में कागजात भी दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि विधिवत अधिग्रहित किया गया था एवं Settelment Objection suit No.-40/1928 में पारित ओदश के द्वारा खतियान के अभियुक्ति कॉलम में "पुरातन पतीत दखल खास मालीक" एवं D.C's Rev. Misc Case No.-481/12-13 अंकित किया गया है। परन्तु सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी के नाम बिना किसी वैद्य कागजात / दस्तावेज के ही राजस्व पंजी–।। में जमाबन्दी का सृजन किया गया है। जिसका विलोपन किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी ओटन दास एण्ड कम्पनी, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी–।। में सृजित जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबंदी को विलोपित करना सुनिश्चित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित। अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। अपर समाहर्त्ता, पाकुड़।	

Digitally signed by JEMES SURIN
Date: 2025.04.16 14:07:06 +05:30
Location: 192.168.0.115